

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 557 / 2012
संस्थान दिनांक 09.11.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

वि रु द्ध

महादेव पिता रतन आयु 25 वर्ष,
निवासी-ग्राम छोटा बड़दा,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 297 / 2012 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. एवं गौण खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में दिनांक 09.11.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.10.2012 को समय 12:00 बजे, ग्राम मोहीपुरा से छापरी फाटा रास्ते पर शासकीय स्थान से 15 टन काली रेत जिसका मूल्य कुल 10,000/- रुपये को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 का उल्लंघन होने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24.10.2012 को पुलिस थाना अंजड़ पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 का चालक अवैध रूप से बिना रायल्टी के मोहीपुरा नर्मदा किनारे रेत से भरकर छापरी फाटा होते हुए इन्दौर की ओर जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुखबिर के बताये पते छापरी फाटा से मोहीपुरा जाने वाले रास्ते पर ट्रक को रोका। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया था। पुलिस द्वारा ट्रक को चेक करने पर उसमें रेत भरी पाई जाने पर पुलिस थाना अंजड़ द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 का मय दस्तावेज मय रेत के जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 297/2012 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. एवं गौध खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मनीष सेन की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 379 भादस एवं गौण खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.10.2012 को समय 12:00 बजे, ग्राम मोहीपुरा से छापरी फाटा रास्ते पर शासकीय स्थान से 15 टन काली रेत जिसका मूल्य कुल 10,000/- रुपये को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 का उल्लंघन है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जगदीश (अ.सा.1), आरक्षक रामकिशोर (अ.सा.2), विक्रम (अ.सा.3), निलेश गडगरी (अ.सा.4), पटवारी रेवाराम मण्डलोई (अ.सा.5) एवं सहायक उपनिरीक्षक रामआसरे यादव (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में रामाश्रय यादव (अ.सा.6) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 24.10.12 को वह थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा देहात भ्रमण पर ग्राम दतवाड़ा में जहाँ पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 का चालक मोहीपुरा नर्मदा किनारे से काली रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर बिना रायल्टी के भरकर छापरी फाटा होते हुए इन्दौर की ओर जाने वाला है उक्त सूचना पर विश्वास कर उसने ग्राम छापरी फाटा से मोहीपुरा जाने वाले रास्ते पर छापरी फाटे की ओर से जा रहे ट्रक को रोककर चेक करने का प्रयास किया तो उसका चालक ट्राले को छोड़कर भाग गया था तथा पिछा करने पर पकड़ में नहीं आया था। ट्रक को चेक करने पर उसमें लगभग 15 टन काली रेत भरी हुई थी और ट्रक के अंदर दस्तावेज प्राप्त हुए जिससे ट्रक प्रमोद साहू के नाम पर होना ज्ञात हुआ। उसने घटनास्थल पर साक्षी रामकिशोर एवं विक्रम के समक्ष उक्त ट्रक तथा उसमें भरी 15 टन काली रेत दस्तावेजों की प्रतिलिपि सहित प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वाहन एवं रेत को लेकर थाना अंजड़ गये और उक्त ट्रक के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 297/12 प्रदर्शपी 4 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 25.10.2012 को उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त से साक्षी राधेश्याम एवं मनीष के समक्ष पूछताछ की तो उसे अभियुक्त ने वह स्थान बताया था जहाँ से काली रेत लेकर गया था मेमोरेण्डम पंचनामा प्रदर्शपी 7 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त से साक्षियों के समक्ष उक्त स्थान की तस्दीक कराई थी तथा पंचनामा प्रदर्शपी 8 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने तहसील कार्यालय अंजड़ पटवारी हल्का नम्बर 13 सर्वे नम्बर 325/1 का ट्रेस नक्शा प्रदर्शपी 3 एवं खसरा प्रदर्शपी 2 जहाँ रेत का अवैध उत्खनन किया गया था, के संबंध में प्राप्त किया था जो प्रकरण में संलग्न है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रवानगी रोजनामचे की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि आधे किलोमीटर की दूरी से ही ट्रक जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें क्या माल भरा हुआ था, यह दिखाई नहीं दे रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उस समय ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। उक्त ट्रक रोकने पर चालक ट्रक छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 के ए से ए भाग पर ओव्हर राईटिंग की हुई है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जिस स्थान पर रेत उत्खनन देखने गया था वह शासकीय नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. जगदीश असा 1, रामकिशोर असा 2, विक्रम असा 3, निलेश असा 4 ने भी वर्ष 2012 में सहायक उपनिरीक्षक श्री रामआश्रय यादव असा 6 द्वारा ग्राम छापरी में मोहीपुरा की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 को भरी हुई काली रेत सहित जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। रामकिशोर असा 2, विक्रम असा 3 ने जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 1 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त सभी साक्षियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ट्रक चालक को मौके पर नहीं देखा था तथा ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया था। पिछा करने पर भी ट्रक चालक नहीं मिला। निलेश असा 4 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि श्री यादव ने उसे सूचना थाने पर दी थी। वह श्री यादव के साथ मोहीपुरा नहीं गया था, लेकिन उक्त साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह रामआश्रय यादव के कहने पर असत्य कथन कर रहे हैं।

10. रेवाराम मण्डलोई असा 5 का कथन है कि उसने तहसीलदार अंजड़ के आदेशानुसार ग्राम मोहीपुरा पटवारी हल्का नम्बर 13 की सर्वे क्रमांक 325/1 का खसरा वर्ष 2012-13 तथा ट्रेस नक्शा थाना अंजड़ में दिया था, जो प्रदर्शपी 2 एवं 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त सर्वे नम्बर नर्मदा नदी से लगा हुआ है और जब वह नक्शा बनाने गया उस समय वहाँ रेत का उत्खनन नहीं हो रहा था और वहाँ पर कोई टेक्टर, ट्राली, जे.सी.बी. या अन्य कोई मशीन नहीं थी।

11. इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 को चलाने या उक्त ट्रक के माध्यम से बिना रायल्टी का भुगतान किये उसमें भरी हुई 15 टन काली रेत का परिवहन करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, यहाँ तक जप्तीकर्ता साक्षी रामआश्रय यादव असा 6 ने भी स्पष्ट कथन किया है कि ट्रक चालक वाहन को छोड़कर भाग गया था। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे की घटना के समय उक्त ट्रक का चालक अभियुक्त ही था, यह प्रमाणित हो सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और यह प्रमाणिता नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये हुए अवैध रूप से खनिज काली रेत का परिवहन किया जा रहा था। अतः उक्त रेत की चोरी अभियुक्त द्वारा बेईमानीपूर्वक आशय से की जा रही थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त महादेव के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय दोनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्त काली रेत 15 टन अपील अवधि पश्चात् राजसात की जाती है। अपील अवधि पश्चात् उक्त रेत नीलाम कर राशि कोषालय में जमा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बड़वानी एवं कलेक्टर बड़वानी को पत्र जारी किया जाये। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8800 दिनांक 30.10.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी प्रमोह साहू पिता स्व. रामबहादुर साहू निवासी-अंजड़, तहसील अजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0